



## राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरतन कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज)

कमांक सी.एस.एफ/जैत/10-29/कृषि/2014-15/

दिनांक 12.2.2015

### निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज) में रबी 2014-15 में खण्ड एक, दो व तीन मय ग्रेवर प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्पादित जिन्सों की पल्लेदारी के विभिन्न कार्यों को कराने के लिए मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 10.3.2015 को उपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3.30 बजे तक अधोहस्ताक्षर के कार्यालय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी आवश्यकतानुसार खुली बोली भी कराई जा सकती है। यदि दिनांक 10.3.2015 को अंतिम निर्णय नहीं होता तो अगली वैकल्पिक तिथि दिनांक 17.3.2015 व 24.3.2015 को पुनः निर्धारित समय तक निविदाये प्राप्त की जा सकेंगी (जिसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी) निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि 10000/- (रु दस हजार मात्र) प्रति खण्ड का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड जैतसर, (NSC, Ltd Jetsar) के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो, को जमा करवाना होगा अथवा संलग्न करना होगा।

निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 100.00 व पहचान पत्र की प्रति जमा करवा कर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है।

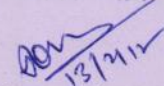
प्रबधक (उत्पादन)  
कृते प्रभारी निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर,

जिला श्रीगंगानगर(राज)

रबी 2014-15 के दौरान विभिन्न जिन्सों की पललेदारी कार्यों को ठेके के आधार पर करवाने के लिए नियम व शर्तें ।

1. पल्लेदारी की निविदा / बोली में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक खण्ड हेतु धरोहर राशि अखरे रुपये 10,000.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ सलग्न अथवा खजान्ची के पास जमा करवाना होगा ।
2. असफल बोली दाता की धरोहर राशि चैक द्वारा वापिस की जायेगी ।
3. सफल निविदादाता/बोलीदाता की धरोहर राशि कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद वापिस की जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
4. ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का बिल सप्ताह में एक बार ही बनाया जायेगा ।
5. ठेकेदार को अपने मजदूरों के रहने की व्यवस्था कार्यालय परिसर से बाहर करनी होगी ।
6. कार्यरत मजदूरों के नाम की सूची सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
7. अनाज की बोरिया भरने के बाद खलिहान को तुरन्त साफ करना होगा ।
8. मौसम खराब होने पर मुख्य खलिहान पर पड़ी जिन्सों को उपलब्ध तिरपाल आदि से ढकना होगा । किसी भी प्रकार की लापरवाही ठेकेदार द्वारा करने पर ठेके को रद्द कर दिया जायेगा ।
9. ठेकेदार ठेके की नियम शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा ।
10. ठेकेदार को प्रयाप्त कामगारों की व्यवस्था करनी होगी जिससे उपलब्ध जिन्सों की सफाई कर गोदामों के अन्दर तुरन्त रखना होगा ।
11. कामगारों की कमी होने पर कार्य सुचारु रूप से नहीं किया जाता तो उस स्थिति में फार्म द्वारा कामगारों की व्यवस्था कर कार्य करवाया जायेगा उस पर आने वाला खर्चा ठेकेदार के बिल से काटा जायेगा ।
12. ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा गलत आचरण करते पाये जाने पर फार्म प्रशासन उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करेगा ।
13. प्रभारी निदेशक को पूरा अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है ।
14. ठेकेदार के पास पेन नम्बर होना आवश्यक है ।
15. ठेका स्वीकृत होने पर सम्बंधित ठेकेदार को दस रु० के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तें टाइप करवाकर तथा ठेकेदार के हस्ताक्षर कर उसे नोटरी वकील से तस्दीक करवाकर इस कार्यालय में पेश करना होगा, इसके बाद ही कार्यारंभ जारी किया जायेगा ।
16. यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।
17. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा ।

  
प्रबन्धक(उत्पादन)

कृते प्रभारी निदेशक

## निविदा

13/11/18

सेवा में,

श्रीमान् निदेशक,  
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

विषय: रबी 2014-15 जिन्सों की पल्लेदारी का कार्य करने बावत।

महोदय,

आपके कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक: के.रा.फा./ जैत./ 10-29/ कृषि/ 2014-15/ दिनांक 13.02.2015 के संदर्भ में, रबी 2014-15 की फसलों के उत्पादित जिन्सों के निम्न पल्लेदारी कार्यों को करने हेतु मैं अपनी निम्नलिखित प्रस्तावित दरें दे रहा हूँ। इस सम्बंध में जो आपकी नियम व शर्तें हैं वे मैंने पढ़ व समझ ली हैं तथा मुझे मान्य है। कृपया मुझे पल्लेदारी कार्य का ठेका प्रदान करने का श्रम करें।

| क्र० सं० | कार्य का विवरण                                                        | दर/ कुन्टल |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | टक/ टाली द्वारा लाये उत्पाद को मुख्य खलिहान पर उतारना                 | रु०        |
| 2.       | बोरी भरना                                                             | रु०        |
| 3.       | बोरी तुलाई करना                                                       | रु०        |
| 4.       | बोरी तुलाई करना (विम बेलेन्स से तोलना )                               | रु०        |
| 5.       | बोरी सिलाई करना                                                       | रु०        |
| 6.       | बोरी टक/ टाली में लादना                                               | रु०        |
| 7.       | बोरी टक/ टाली से उतारना                                               | रु०        |
| 8.       | गोदाम में 15 बोरी की ऊँचाई तक चट्टा लगाना                             | रु०        |
| 9.       | मोबाइल कैलिनर मशीन एवम पंखा कि सहायता से तीनों शिप्टों में सफाई करना  | रु०        |
| 10.      | सफाई के उपरान्त कचरे में उपलब्ध दानों को दुबारा साफ करके दाना निकालना | रु०        |
|          | कुल                                                                   | रु०        |

दिनांक .....

पेन न० .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पता .....

फोन न०.....